

‘अब फसल बीमा व आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य भी शामिल होगा आर.टी.एस. में : गुप्ता’

कुरुक्षेत्र, 4 सितम्बर (धमीजा) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर योजना का लाभ मिलेगा और लोगों के आयुष्मान कार्ड भी समय पर बनेंगे। इन दोनों सेवाओं को सेवा के अधिकार (आर.टी.एस.) में शामिल किया जाएगा। आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता गत देर सायं मल्टी आर्ट



मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता लोगों से सीधा संवाद करते।

क्लचरल सेंटर के सभागार में लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे।

आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने ओपन हाउस में सेवा के अधिकार में कुछ ओर जरूरी सेवाओं को जोड़ने के लिए लोगों के साथ सीधा संवाद किया और लोगों ने काफी अच्छे सुझाव भी दिए। इन सुझावों को मुख्य आयुक्त ने गंभीरता से लिया और कुछ सेवाओं को आर.टी.एस. में

शामिल करने के लिए कहा है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को समय पर खराब फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। इसलिए इस सेवा को आर.टी.एस. में शामिल किया जाना जरूरी है। इस आयुष्मान कार्ड को निर्धारित समयाविधि में बनवाने के लिए आर.टी.एस. में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा समय समय पर लोगों से सुझाव लेकर आर.टी.एस.

लाभ निर्धारित समय अवधि में लोगों को मिलना चाहिए।

इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, ए.डी.सी. अखिल पिलानी, आयोग की सचिव मीनाक्षी राज, एस.डी.एम. नरेंद्र पाल मलिक, एस.डी.एम. सोनू राम, एस.डी.एम. अनुभव मैहता, एस.डी.एम. कपिल शर्मा, नगराधीश हरप्रीत कौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सेवाओं में लगातार विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने उपायुक्त मुकुल कुमार को आदेश दिए हैं कि सभी सी.एस.सी. संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाए और सभी सी.एस.सी. संचालकों को प्रार्थी को रसीद देना भी सुनिश्चित किया जाए।

इस मामले में जरा सी भी लापरवाही सहन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आर.टी.एस. में अधिसूचित की गई सभी 546 सेवाओं का